रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 666] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2016/आश्विन 1, 1938
No. 666] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2016/ ASVINA 1, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितंबर, 2016

सा.का.नि. 904(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 621 (अ), तारीख 23 जून, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में उनसे द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 23 जून, 2016 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अत:, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान नियम (13 वाँ संशोधन) नियम 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989, के नियम 125ड. में,-

(i) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(3) पशुओं के वहन के लिए रखे गए किसी मोटरयान को पशुओं का वहन करते समय, अन्य माल के वहन के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा " ;

(ii) उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु इस नियम में की गई कोई बात, किसान के पशुधन का वहन करने वाले यान को लागू नहीं होगी ।"

[स.आर टी-11036/24/2014-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3 के उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि **895** (अ), तारीख 20.09.2016 उनका अन्तिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2016

G.S.R. 904(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 621 (E), dated the 23rd June, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 23rd June, 2016;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (13th Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 125E,-

(i) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

" (3) No motor vehicles meant for carrying animals shall be permitted to carry any other goods, while carrying animals.";

(ii) after sub- rule (4), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that nothing in this rule shall apply to a vehicle carrying livestock belonging to farmers.".

[No.RT-11036/24/2014-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R 895(E) dated 20.09.2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.09.27 11:10:14 +05'30'